(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 77 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2022 / 300

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 36वर्ष जाति राठौर(विक्रेता एवं मालिक) निवासी वार्ड नं. 04, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारां मैसर्स सत्यनारायण राजेन्द्र कुमार काज्या टोडी, हाड़ौती बैंक के पास, मांगरोल जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स सत्यनारायण राजेन्द्र कुमार काज्या टोडी, हाड़ौती बैंक के पास, मांगरोल जिला बारॉ (राज.)
3. श्रीमति सुनिता जैन पत्नि श्री लालचंद जैन(मालिक) मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स सी–53–54 निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर
4. मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स सी–53–54 निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर
5. श्री अशोकभाई नाथूभाई सुखाड़िया निवासी पटेल समाज के पास, मंडावद विशावदर जूनागढ़(गुजरात) 362130(नोमिनी) मैसर्स श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फूड्स लिमिटेड, प्लाट नं. 40 से 54 गोवर्धन इण्ड. एस्टैट टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, न्यू सियालाज कॉलोनी एट पीपोदरा मांगरोल सूरत गुजरात
6. मैसर्स श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फूड्स लिमिटेड, प्लाट नं. 40 से 54 गोवर्धन इण्ड. एस्टैट टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, न्यू सियालाज कॉलोनी एट पीपोदरा मांगरोल सूरत गुजरात

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्र.1 व 2)
3– श्री भौतिक जमन भाई विरानी उपस्थित (अप्रार्थी क्र. 3 ता 6)
(कम्पनी की ओर से प्रतिनिधि)

निर्णय दिनांक 27.12.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.07.2022 को मैसर्स सत्यनारायण राजेन्द्र कुमार काज्या टोडी, हाड़ौती बैंक के पास, मांगरोल जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:55:26 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.07.2022 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक / एच / एफएसएसए / (एफ–28)नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **गाय का घी(वास्तु) 500 एमएल मूल प्लास्टिक जार पैक** के 25 नग लकड़ी के रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **गाय का घी(वास्तु) 500 एमएल मूल प्लास्टिक जार पैक** में मिलावट अथवा मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **गाय का घी(वास्तु) 500 एमएल** के 04 मूल प्लास्टिक जार पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण (विक्रेता एवं मालिक) को 840/– रूपये (अक्षरें आठ सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का घी(वास्तु) 500 एमएल मूल प्लास्टिक जार पैक** को चार भागों में बांटकर प्रत्येक पर नमूने का विवरण सहित लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल तैयार कर डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1489 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1489 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/213 दिनांक 10.08.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1054/PHL/kota/Act/ **2022/1056** दिनांक 20.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु [illegible] किया गया खाद्य पदार्थ **गाय का घी (वास्तु) 500 एमएल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:55:26 IST
Reason: Self Attested

इस पर प्रकरण दिनांक 25.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 5 व 6 की ओर से जमन भाई विरानी द्वारा अथॉरिटी लैटर के साथ उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **गाय का घी(वास्तु) 500 एमएल मूल प्लास्टिक जार पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थीगण को उपरोक्त धारा के तहत भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 तथा अप्रार्थी क्रम 3 ता 6 की ओर से कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि हमारी कंपनी मार्केट में स्थित होने पर सरकार के धारा के हिसाब से ISO, FSSAI, AGMARK ऐसे लाइसेंस के साथ–साथ प्रोडक्ट्स बनाते है। हम ग्राहक को ध्यान में रखकर हीं प्रोडक्ट्स बनाते है। उसके बाद हम किसी प्रकार का अडल्टरसन ऐड करने का इरादा नहीं रखते है। हमारा मैन्यूफैक्चरिंग कॉटन ट्रेक एरिया में आता है। हमारा दूध परोकउरमेंट होता है। पशुपालक के द्वारा पशुओं को जो खाद्यपदार्थ खिलाया जाता है, उसमें से कुछ अंश दूध घी में भी आ जाता है। रेफरल फूड लेबोरेटरी द्वारा जारी जांच रिपोर्ट के अनुसार वास्तु गाय का घी FSSAI के स्टैंडर्ड के हिसाब से सभी पैरामीटर के मापदंड को पूरा कर रहा है लेकिन अंतिम सलाह में फ्री फेटी एसिड की उपस्थिति बताकर अवमानक बताया गया है। फेटी एसिड प्रोफाइल की जांच 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला टेस्ट को अभी से सैम्पल को टेस्ट करके अवमानक बताना गलत है। अतः कम से कम जुर्माना किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई कार्यवाही निस्तारित की जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 यदि खाद्य विश्लेषक, खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1054/PHL/kota/Act/ **2022/1056** दिनांक 20.07.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवाई गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **गाय का घी(वास्तु) 500 एमएल मूल प्लास्टिक जार पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक कमांक 1054/PHL/kota/Act/ **2022/1056** दि 20.07.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है जिसके तहत अप्रार्थी क्रम 5 व 6 को कुल जुर्माना राशि 51,000/– रूपये (अक्षरे इक्यावन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 5 व 6 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह पश्चात पेश

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक **27.12.2022** को मेरे हस्ताक्षर कराकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:55:26 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)